कार्यालय : जिला एंव सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–द्वितीय

क्रमांक : स्था0/257/2021/.....967..... **संशोधित आदेश** दिनांक : 19.../12/2026

इस न्यायक्षेत्र में कार्यरत श्री मदन लाल सौंकरिया, लिपिक ग्रेड–I को उनके नाम के आगे अंकित दिनांक को पूर्व में वांछित चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. पर संबंधित न्यायक्षेत्र, जिसका उल्लेख तालिका के कॉलम सं0 03 में किया गया हैं, के द्वारा तत्समय नियमों के अन्तर्गत वेतनस्थिरीकरण संबंधी आदेश जारी किये गये थे, जिसे राज्य सरकार के वित विभाग के द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक F.15(1)FD/Rules/2017 Part-II दिनांकित 26.07.2023 एवं उक्त आदेश के स्पष्टीकरण दिनांकित 01.08.2023 के क्रम में एतत् द्वारा उक्त पूर्व स्वीकृत वेतनस्थिरीकरण को निम्नानुसार संशोधित/स्वीकृत किया जाता हैं:–

क.सं.	नाम कर्मचारी मय पद व न्यायालय का नाम	पूर्व में संबंधित न्यायक्षेत्र द्वारा स्वीकृत चयनित वेतनमान/एसीपी अथवा पदोन्नति का विवरण		अधिसूचना क्रमांक F.15(1)FD/Rules/2017 Part-II दिनांकित 26.07.2023 के अनुसार			आगामी वेतन वृद्धि की दिनांक
		न्यायक्षेत्र का नाम व स्वीकृति आदेश क्रमांक एवं दिनांक	देय दिनांक व उक्त दिनांक पर पूर्व में स्वीकृत मूलवेतन	चयनित वेतनमान/ ए.सी.पी अथवा पदोन्नति की दिनांक से पूर्व प्राप्त मूल वेतन एवं पे–लेवल	विघमान पे–लेवल में एक वेतनवृद्धि जोड़ते हुए आगामी मूल वेतन	देय एसीपी/पदोन्नति पर वेतन स्थिरीकरण की दिनांक को आगामी पे–लेवल में नियत संशोधित मूल वेतन	
01	02	03	04	05	06	07	08
1	**श्री मदन लाल सौंकरिया** **शहरिस्तेदार/रीडर ग्रेड–III/लिपिक ग्रेड–I** अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम सं0 17, जयपुर महानगर–II प्रथम नियुक्ति दिनांक 24.11.1999 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–II स्था/37/2021/6160 दि. 17.11.2022	30.06.2022 **(पदोन्नति)** **35300/–** (L-08))	30.06.2022 **(पदोन्नति)** **34300/–** (L-05)	35300/– (L-05)	30.06.2022 **(पदोन्नति)** **36400/–** (L-08)	**01.07.2022**

नोटः–

01. उपरोक्त तालिका में उल्लेखित कर्मचारीगण को उनके नाम के सम्मुख कॉलम 07 में उल्लेखित दिनांक से दिनांक 31.03.2023 तक की कोई एरियर राशि नियमानुसार देय नहीं होगी एवं दिनांक 01.04.2023 से समस्त वित्तीय लाभ नियमानुसार देय होगें।
02. उक्त आदेश का इन्द्राज संबंधित कर्मचारीगण की सेवापुस्तिका में किया जावें।

–sd–
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर–द्वितीय

क्रमांक : स्था0 / 257 / 2021 / 968 दिनांक : 10 / 03 / 2026

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है</u> :–

01. प्रभारी अधिकारी (लेखा शाखा), जिला न्यायालय, जयपुर महानगर–द्वितीय।
02. श्रीमान् कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर।
03. संबंधित न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम सं0 17, जयपुर महानगर–द्वितीय (मुख्यालय चौमूं) को संलग्न सेवापुस्तिका प्रेषित कर **<u>निर्देशित किया जाता हैं कि</u>** ***<u>उपरोक्तानुसार संशोधित मूलवेतन उपरांत दिनांक 30.06.2022 के बाद पूर्व स्वीकृत वेतनवृद्धियों को संशोधित कर सेवापुस्तिका में इन्द्राज किया जावे एवं सेवानिवृत्ति दिनांक 31.03.2026 को संशोधित एल.पी.सी. जारी कर पेंशन प्रकरण पुनः इस कार्यालय को अविलम्ब प्रेषित किया जावें।</u>***
04. संबंधित कर्मचारी।
05. सिस्टम ऑफिसर को न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
06. आदेश पत्रावली / संबंधित पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर–द्वितीय